



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)  
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 9 सितम्बर, 1986

भाद्रपद 18, 1908 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1611/सत्रह-वि-1-1 (क) 17/1986

लखनऊ : 9 सितम्बर, 1986

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1986 पर दिनांक 8 सितम्बर, 1986 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1986 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1986

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 1986)

[ जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ ]

संबन्धित प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 का अन्तर् संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 1986 कहा संक्षिप्त नाम

जायगा

संयुक्त प्रान्त अधि-  
नियम संख्या 2  
सन् 1916 की  
धारा 133 का  
संशोधन

2—संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 133 में, उपधारा (1) में, शब्द "किसी नगर से भिन्न नगरपालिका की दशा में यदि" के स्थान पर शब्द "यदि" रख दिया जायगा।

आज्ञा से,  
श्रीनाथ सहाय,  
सचिव।

No. 1611 (2) /XVII-V-1-1 (KA)-17-76

Dated Lucknow, September 9, 1986

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagarpalika (Sanshodhan) Adhiniyam, 1986 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 1986) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 8, 1986.

THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES (AMENDMENT)  
ACT, 1986

(U. P. ACT No. 18 OF 1986)

[As passed by the U. P. Legislature]

AN  
ACT

further to amend the U. P. Municipalities Act, 1916

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-seventh Year of the Republic of India as follows :—

Short title

Amendment of  
section 133 of  
U. P. Act no. 2  
of 1916.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Act, 1986.

2. In section 133 of the U.P. Municipalities Act, 1916, in sub-section(1) for the words "in the case of a municipality other than a city, if" the word "if" shall be substituted.

By order,  
S. N. SAHAY,  
Sachiv.